

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

क0 एफ 27- 70/2010/बीस-2
प्रति.

भोपाल, दिनांक 12 / 07 / 2010

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0 भोपाल,


विषय:- हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली क्रीडा शुल्क की राशि में वृद्धि करने बाबत ।

—000—

राज्य शासन एतद् द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली क्रीडा शुल्क की दरें निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

स0क0	कक्षा	पूर्व में ली जाने वाली शुल्क	नवीन निर्धारित शुल्क
1	9वीं एवं 10 वीं	30 रूपयें प्रतिवर्ष	60 रूपयें प्रतिवर्ष
2	11वीं एवं 12 वीं	50 रूपयें प्रतिवर्ष	100 रूपयें प्रतिवर्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम0के0दाण्डे)
अवर सचिव

म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पू0क0 एफ 27- 70/2010/बीस-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक / 07 / 2010

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव

म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृष्ठांक/क्रमांक/शा0शि0/जी/01/2010-11/341

भोपाल, दिनांक 16.07.2010

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन मध्यप्रदेश ।
2. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा संभाग मध्यप्रदेश ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
4. प्राचार्य, शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर ।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर उल्लेखित है कि सत्र 2010-11 से उपरोक्तानुसार क्रीडा शुल्क की राशि छात्रों से प्राप्त करने का कष्ट करें ।



(आलोक खरे)

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश